भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4848

दिनांक 23 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: जलीय संगरोध सुविधा

4848. श्रीमती प्रतिमा भौमिकः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि जलीय संगरोध सुविधा द्वारा रोगग्रस्त मछलियों को समाप्त करके रोग की शुरुआत को समाप्त किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को त्रिपुरा राज्य से जलीय संगरोध सुविधा की स्थापनार्थ कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने परियोजना शुरू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार ने पड़ोसी देश के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रोगग्रस्त मछलियों के गैर-कानूनी प्रवेश के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) जी हाँ, श्रीमान । जलीय संगरोध सुविधा जलीय जीवों के समूह को अन्य जलीय जीवों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से संपर्क बिना एकांत में रखे जाने के लिए आबश्यक है ताकि एक निर्धारित अवधि के लिए उनको निगरानी में रखा जा सके और येथोचित परीक्षण एवं इलाज के साथ साथ अपशिष्ट जल का उचित उपचार किया जा सके । संगरोध का मुख्य उद्देश्य आयातक देश के राष्ट्रीय क्षेत्र में संक्रामक एजेंट (पैथोजेन्स) के प्रवेश के जोखिम को कम करना तथा उनके बच निकलने और ग्रहणक्षम प्रजातियों में उनके फैलाव को रोकना है ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान । त्रिपुरा सरकार ने अवगत कराया है कि एक निजी कंपनी द्वारा जलीय जीव स्वास्थ्य निगरानी, अनुसंधान एवं संगरोध केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के संबध में मार्गदर्शन का अनुरोध किया है ।

(ग) त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने परियोजना शुरु करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है क्योंकि निजी कंपनी के कब्जे मे अभीतक कोई जमीन नहीं है ।

(घ) मछली एवं मत्स्य उत्पाद, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 समय-समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अधीन विनियमित होते हैं । वर्तमान में उन चिन्हित प्रवेश पत्तनो से जीवित मछलियों को लाने की अनुमति है, जहाँ पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाओं (ए क्यू सी एस) को आयातित उत्पादों को मानक सैनेटरी प्रोटोकॉल के आधार पर निरीक्षण कर प्रवेश की अनुमति के लिए अधिकृत किया गया है ।

****